

जयपुर में विरासत और विकास का अद्भुत संगम बनेगा राजस्थान मंडपम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में रीको और एनबीसीसी के बीच हुआ समझौता

—कार्यालय संवाददाता—
जयपुर। राजधानी जयपुर में अब ऐसा भव्य स्थल तैयार होगा, जो प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को संजोते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में बुधवार को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) के बीच “राजस्थान मंडपम” और उससे जुड़ी परियोजनाओं के निर्माण के लिए समझौता किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में प्रस्तावित यह विशाल परिसर राजधानी की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के साथ-साथ आधुनिक आवश्यकताओं को भी पूर्ण करेगा। इसमें सम्मेलन भवन, प्रदर्शनी कक्ष, राजस्थानी शिल्पकला को दर्शाने वाले मंच, आवासीय व्यवस्था, भोजनालय, व्यावसायिक उपयोग की इमारतें, तथा आकर्षक उद्यान शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास के साथ विरासत भी के संकल्प को साकार करेगी। उन्होंने कहा



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में बुधवार को रीको तथा एन.बी.सी.सी. के बीच “ राजस्थान मंडपम” और उससे जुड़ी परियोजनाओं के निर्माण के लिए समझौता किया गया। इस मौके पर मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं रीको अध्यक्ष शिखर अग्रवाल, एनबीसीसी के अध्यक्ष के.पी. महादेवस्वामी मौजूद थे।

कि राजस्थान मंडपम केवल ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं होगी, बल्कि यह राजस्थान की आत्मा, उसकी संस्कृति, परंपरा, कला, और लोक जीवन को नई पहचान देगी। यह स्थल आने वाले समय में राजस्थान की सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जयपुर अब सम्मेलन पर्यटन का प्रमुख

केन्द्र बनेगा। देश-विदेश से लोग यहां आयोजनों के लिए आएंगे, जिससे पर्यटन, रोजगार, और स्थानीय शिल्पकारों को भी लाभ मिलेगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा ने परियोजना की रूपरेखा की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि भवन निर्माण में राजस्थान की स्थापत्य शैली, लोक कलाओं, और परंपरागत

रंग-रूप का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही, निर्माण के बाद इसकी देखरेख, साफ-सफाई, तथा सुरक्षा व्यवस्था भी सर्वोच्च स्तर की होनी चाहिए। ‘राजस्थान मंडपम’ का निर्माण जयपुर के बी-2 बाईपास क्षेत्र में रीको की भूमि पर किया जाएगा। परियोजना में राजस्थान की पारंपरिक वास्तुकला

■ **सम्मेलनों, सांस्कृतिक आयोजनों और पर्यटन को मिलेगा नया आयाम**

के साथ-साथ नवीनतम तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ ही पाँच सितारा और चार सितारा होटल, सूचना तकनीकी से जुड़ी इमारतें, तथा निवासीय और व्यवसायिक परिसर भी बनाए जाएंगे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यह परियोजना न केवल जयपुर को बल्कि पूरे राजस्थान को एक नया सांस्कृतिक और आर्थिक आयाम प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्थल प्रदेश की कला, संस्कृति, और पर्यटन को नई पहचान देगा।

समारोह में मुख्य सचिव सुधांश पंत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं रीको अध्यक्ष शिखर अग्रवाल, एनबीसीसी के अध्यक्ष के.पी. महादेवस्वामी, तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

दाने-दाने में केसर का दम का दावा करने वाले शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ से जवाब मांगा

जयपुर (कासं)। राज्य उपभोक्ता आयोग ने विमल पान मसाले के दाने- दाने में केसर का दम बताकर इसका भ्रामक विज्ञापन करने के मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ सहित विमल पान मसाला ब्रांड के निर्माता जेबी इंडस्ट्रीज से 8 अक्टूबर तक जवाब तलब किया है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस देवेन्द्र कच्छावा और सदस्य करुणा जैन ने यह आदेश गजेन्द्र सिंह ठाकुर की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अपील में जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 के परिवाद खारिज करने के गत 12 अगस्त को दिए आदेश को चुनौती दी गई है।अपील में अधिवक्ता सुमन

■ **राज्य उपभोक्ता आयोग ने विमल पान मसाले का भ्रामक विज्ञापन करने के मामले में इन तीनों फिल्म अभिनेताओं और पान मासाला निर्माता जेबी इंडस्ट्रीज से 8 अक्टूबर तक जवाब तलब किया है**

शेखावत ने बताया कि जेबी इंडस्ट्रीज विमल पान मसाले का निर्माण कर उसे देशभर में विक्रय करने के लिए सप्लाई करती है। वहीं तीनों अभिनेता इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए इसका विज्ञापन करते हैं। परिवाद में कहा गया कि विज्ञापन में बताया जाता है कि इसमें केसर का मिश्रण है। जबकि सच्चाई यह है कि केसर की कीमत करीब चार लाख रुपए प्रति किलोग्राम है और यह पान मसाला पांच

रुपए में आता है। ऐसे में इसमें केसर मिलाने का दावा भ्रामक है। यह भ्रामक विज्ञापन इसलिए दिखाया जाता है कि अधिक से अधिक लोग ज्यादा से ज्यादा यह पान मसाला खरीदें और इसके निर्माता को लाभ मिले। परिवाद में बताया गया कि इन अभिनेताओं द्वारा इस पान मसाले में दाने-दाने में केसर का दम दिखाकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। जिससे एक ओर निर्माता कंपनी करोड़ों रुपए का व्यापार

कर रही है और दूसरी ओर आमजन हानिकारक और स्वास्थ्य के लिए पान मसाला का सेवन कर कैसर जैसी बीमारी को न्यौता दे रहे हैं। इसके बावजूद वे जानबूझकर आमजन को भ्रमित करने के लिए इसे केसरयुक्त बताकर विज्ञापन जा रहा है। अपील में गुहार की गई है कि विमल पान मसाला के उत्पादन और विज्ञापन पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही इन कलाकारों को दिए राष्ट्रीय पुरस्कार वापस लिए जाए। वहीं इन पर पचास लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया जाए जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने तीनों अभिनेताओं सहित निर्माता कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

शिक्षा है बच्चे का मौलिक अधिकार : हाईकोर्ट

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा बच्चे का मौलिक अधिकार है। उसे इस तकनीकी आधार पर इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसके आधार कार्ड में वार्ड का हवाला नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को पन्द्रह दिन में संबंधित स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए। जस्टिस अनूप कुमार डंड की एकलपीठ ने यह आदेश दिविक रंगवानी के अपने पिता के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि एक बार याचिकाकर्ता

■ **दस्तावेज में तकनीकी खामी के कारण नहीं किया जा सकता वंचित : उच्च न्यायालय**

को लॉटरी ड्रॉ के जरिये निजी स्कूल में प्रवेश के लिए चुन लिया गया है तो आधार कार्ड में निवास वार्ड का हवाला नहीं होने के तकनीकी आधार पर उसे खारिज नहीं किया जा सकता। आवेदन खारिज करने के बजाए स्कूल प्रशासन याचिकाकर्ता से दस्तावेजी साक्ष्य मांग सकता था।

याचिका में अधिवक्ता एम निसार खान ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने आरटीई के तहत दी वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। स्कूल प्रशासन ने गत 21 अप्रैल को उसका आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसने गलत दस्तावेज पेश किए हैं। वहीं इसकी सूचना भी याचिकाकर्ता को नहीं दी। इसके बाद स्कूल ने दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 8 मई कर दिया। याचिका में कहा गया कि उसके आधार कार्ड में निवास वार्ड की संख्या दर्ज नहीं होने के कारण उसका आवेदन अस्वीकार किया गया है। जबकि

याचिकाकर्ता ने 8 मई को ई-मेल के जरिए राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित दस्तावेज इस संबंध में पेश कर दिया था। इसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने उसे प्रवेश नहीं दिया। इसका विरोध करते हुए स्कूल के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के दस्तावेज में वार्ड संख्या का हवाला नहीं था। जबकि राज्य सरकार ने निर्देशानुसार वार्ड विशेष में निवास करने वाले विद्यार्थी को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को पन्द्रह दिन में स्कूल में प्रवेश देने के आदेश दिए हैं।

विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को सोलहवीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र मध्याह्न पश्चात 4:58 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया। सत्र का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। 1 सितम्बर से जारी यह सत्र कुल 6 बैठकों में फैला और लगभग 18 घंटे 40 मिनट तक चला।

देवनानी ने बताया कि विधानसभा ने 91 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों के उत्तर समय पर प्राप्त किए। पहले तीन सत्रों में क्रमशः 2073/2098, 7657/7945 व 8351/9701 प्रश्नों के जवाब विधानसभा को मिले। इस सत्र में कुल 3008 प्रश्न प्राप्त हुए – जिनमें से 1237 तारांकित, 1770 अतारांकित और 1 अल्प सूचना प्रश्न शामिल था। इनमें से 120 तारांकित सूचीकृत थे, जिनमें से 53 पूछे गए और उत्तर दिए गए; 119 अतारांकित प्रश्न भी सूचीबद्ध रहे। प्रक्रिया के नियम2131 के अंतर्गत 1686 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 1575 के उत्तर विधानसभा को समय पर प्राप्त हुए – लगभग 78 प्रतिशत की प्रभावशाली उपलब्धि।नियम295 के अंतर्गत 337 विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 307 के उत्तर समय पर आए – 94 प्रतिशत जवाब दर! इसके अलावा नियम250 के अंतर्गत 134 स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 21 प्रस्तावों पर सदन में चर्चा हुई और 17 विधायकों ने अपने विचार रखे। सदस्यों द्वारा कुल 267 पंर्चिर्चौं प्रस्तुत की गईं, जिनमें से 20 को चर्चानित कर सदस्य सदन में अपनी बात रख सके।

जहाजपुर से कांग्रेस के 35 जनप्रतिनिधि भाजपा में शामिल

■ **भाजपा नेता मुकेश पारीक ने दिलाई सदस्यता**

जयपुर । भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार विस्तार पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी सोच और विकासोन्मुखी नेतृत्व से प्रभावित होकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के 35 से अधिक प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने बुधवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इन सभी जनप्रतिनिधियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक ने सभी को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भाजपा परिवार में

उनका स्वागत किया। इस दौरान जहाजपुर-कोटड़ी विधानसभा क्षेत्र से सरपंच भैरूलाल गुर्जर, प्रेमशंकर गुर्जर, उदयलाल गुर्जर, भंवरलाल गुर्जर, सीताराम गुर्जर, जमनालाल गुर्जर सहित अनेक प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सभी नवदक्षित सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाजपा में उनका स्वागत है, और उन्हें आशा है कि सभी नेता पार्टी की

विचारधारा के अनुरूप जनसेवा को सर्वोपरि रखकर कार्य करेंगे।

प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक ने कहा कि यह भाजपा की मजबूत नीति, संगठनात्मक कार्यशैली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले यह जनप्रतिनिधि न केवल संगठन को और मजबूती देंगे, बल्कि अपने क्षेत्रों में पार्टी की नीति और कार्यक्रमों को भी प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाएंगे।इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश गर्ग, विक्रम सिंह गुर्जर, एस.के. शर्मा सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कंगला गैंग के तीन बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। प्रताप नगर थाना पुलिस ने कंगला गैंग के तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बदमाशों के पास से छह मोबाइल फोन सहित वारदात में प्रयुक्त एक दुपहिया वाहन बरामद भी जब्त किया है। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व संजीव नैन ने बताया कि प्रताप नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंगला गैंग के तीन शातिर मोबाइल स्नेचर नरेन्द्र सिंह (20) निवासी कोटखावदा जयपुर, पुर्षेन्द्र मोणा (21) निवासी कोटखावदा जयपुर और शंकर बणजारा (20) निवासी पिचौर जिला ग्वालियर हाल प्रताप नगर जयपुर को गिरफ्तार किया गया है। जिनके खिलाफ जयपुर शहर में कई वारदात करने के मामले दर्ज हैं।

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को राहत

दर्ज एफ.आई.आर. पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

–कार्यालय संवाददाता–

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने खराब कार की मार्केटिंग करने के मामले में भरतपुर के मधुरा गेट थाने में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सहित अन्य के खिलाफ इस्तगासे के जरिए दर्ज एफआईआर में कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सहित अन्य की अपील पर पचास लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया जाए जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने तीनों अभिनेताओं सहित निर्माता कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, विवेक राज बाजवा और अधिवक्ता माधव मित्र ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता ने कार खरीदने के बाद उसे तीन साल तक करीब 67 हजार किलोमीटर चलाया और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई। मामले में फिल्मी कलाकार याचिकाकर्ताओं पर कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। वे कार के ब्रांड

■ **खराब कार की मार्केटिंग करने का मामला**

एम्बेसडर हैं और उन्होंने सिर्फ कार का विज्ञापन किया था। याचिकाकर्ता दीपिका पादुकोण तो शिकायतकर्ता के वाहन खरीदने के बाद इस ब्रांड से जुड़ी हैं। इसके अलावा हर वाहन की परफॉर्मेंस उसके चलाने के तरीके पर निर्भर करती है। यदि शिकायतकर्ता को कार की परफॉर्मेंस को लेकर कोई शिकायत भी थी तो इसमें कोई अपराधिक मामला नहीं बनता है। शिकायतकर्ता इसे उपभोक्ता अदालत में परिववाद दायर कर चुनौती दे सकता था।

इसके बावजूद भरतपुर की निचली अदालत के पीठासीन अधिकारी ने बिना विधिक मस्तिष्क का उपयोग किए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं के

खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगामी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि भरतपुर के वकील कीर्ति सिंह ने इस्तगासे के जरिए मधुरा गेट थाने में गत दिनों एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें कंपनी के एमडी अनसो किम, निदेशक और सीईओ तरुण गर्ग, शाहरुख खान व दीपिका पादुकोण सहित अन्य को आरोपी बनाते हुए कहा गया था कि उसने जून, 2022 में 23 लाख 97 हजार रुपए में एक कंपनी की कार खरीदी थी।

हाईवे पर कार चलाने के दौरान ओवरटेक करते समय कार पिकअप नहीं लेती और उसका सिर्फ आरपीएम ही बढ़ता है। कार के ओडोमीटर में माल फंक्शन लिखा आने का साइन नजर आता है।

वहीं तेज चलाने पर कार वाइब्रेट होने लगती है। एफआईआर में यह भी कहा गया कि जब शिकायत दी गई तो कार एंजेंसी संचालक ने इसे कार निर्माण में दोष बताया। अपराध में कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ दोनों फिल्मी कलाकार भी बराबर के आरोपी हैं।

